न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी : साधुराम जाट (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या 41 / 2016

1. रणजीत आयु 55 वर्ष पुत्र गीगाराम जाति खाती (जांगिड़ ब्राहमण) निवासी भारू का बास तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
2. रामनिवास आयु 45 वर्ष पुत्र गीगाराम जाति खाती (जांगिड़ ब्राहमण) निवासी भारू का बास तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
3. संजय कुमार आयु 42 वर्ष पुत्र गीगाराम जाति खाती (जांगिड़ ब्राहमण) निवासी भारू का बास तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
4. पवन कुमार आयु 35 वर्ष पुत्र गीगाराम जाति खाती (जांगिड़ ब्राहमण) निवासी भारू का बास तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
5. श्रीमति किस्तूरी देवी आयु 82 वर्ष स्त्री गीगाराम जाति खाती (जांगिड़ ब्राहमण) निवासी भारू का बास तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
6. मु. परमेश्वरी आयु 63 वर्ष पुत्री गीगाराम स्त्री प्रभातीलाल जाति खाती निवासी धरड़ाना खुर्द तहसील बुहाना जिला झुझुनू
7. मु. रूकमणी आयु 58 वर्ष पुत्री गीगाराम स्त्री सुलतान जाति खाती निवासी धरड़ाना कलां तहसील बुहाना जिला झुझुनू
8. मु. विमला आयु 51 वर्ष पुत्री गीगाराम स्त्री चिरंजीलाल जाति खाती निवासी ढ़ाणा तहसील बुहाना जिला झुझुनू

प्रार्थीगण

बनाम

1. महावीर आयु 65 वर्ष पुत्र हरनन्द जाति खाती (जांगिड़ ब्राहमण) निवासी भारू का बास तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
2. विद्याधर आयु 59 वर्ष पुत्र हरनन्द जाति खाती (जांगिड़ ब्राहमण) निवासी भारू का बास तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
3. श्रीमती पार्वती आयु 75 वर्ष स्त्री स्व. बीरबलराम जाति खाती (जांगिड़ ब्राहमण) निवासी भारू का बास तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
4. रणवीर आयु 49 वर्ष पुत्र स्व. बीरबलराम जाति खाती (जांगिड़ ब्राहमण) निवासी भारू का बास तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
5. मनफूल आयु 30 वर्ष पुत्र स्व. बीरबलराम जाति खाती (जांगिड़ ब्राहमण) निवासी भारू का बास तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
6. मालचन्द आयु 45 वर्ष पुत्र स्व. बीरबलराम जाति खाती (जांगिड़ ब्राहमण) निवासी भारू का बास तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
7. ख्यालीराम आयु 43 वर्ष पुत्र स्व. बीरबलराम जाति खाती (जांगिड़ ब्राहमण) निवासी भारू का बास तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
8. चन्दगीराम आयु 40 वर्ष पुत्र स्व. बीरबलराम जाति खाती (जांगिड़ ब्राहमण) निवासी भारू का बास तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
9. श्रीमती संन्तोष आयु 53 वर्ष स्त्री स्व. मूलचन्द जाति खाती (जांगिड़ ब्राहमण) निवासी भारू का बास तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
10. श्रवण कुमार आयु 25 वर्ष पुत्र स्व. मूलचन्द जाति खाती (जांगिड़ ब्राहमण) निवासी भारू का बास तहसील मलसीसर जिला झुझुनू

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्डा होल्डर तहसीलदार मलसीसर जिला झुझुनू

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

निर्णय दिनांक 05.04.2022

संक्षेप मे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम कायमपुरा पटवार हल्का रामपुरा की सरहद में भूमि हाल खसरा नम्बर 129 रकबा 3.26 है0 भूमि अवस्थित है। जो गत खसरा नम्बर 101 तादादी 12 बीधा 18 बिस्वा से बनी है। उक्त भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 10 की पैतृक खातेदारी काश्तकारी की भूमि है। इस जमीन में प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 10 का 1/2 हिस्सा है। इस भूमि को प्रार्थीगण के पिता गीगाराम व उसके भाई अप्रार्थीगण 1 लगायत 10 के पूर्वज हरनन्द तत्कालीन ठिकाना से सम्वत 2008 में लगान पर लेकर काश्त किया व काबिज रहे। सम्वत 2012 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रभाव में आने पर उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार हरनन्द व गीगाराम थे व काबिज थे। सम्वत 2043 से 46 तक उक्तानुसार हरनन्द व गीगाराम की खातेदारी में बहिस्सा बराबर दर्ज रही। जो बदस्तुर चलती रही है। दिनांक 18.07.2016 को पटवारी हल्का द्वारा प्रार्थीगण की विवादीत जमीन वर्णित धारा 1 वाद पत्र के 1/2 हिस्से के बाबत निर्णय व डिक्री की पालना में नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने की कार्यवाही के दौरान प्रश्नगत भूमि के बाबत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर से पारित निर्णय दिनांक 06.10.2015 पारित किये जाने की जानकारी हुई। अप्रार्थीगण 1 लगायत 10 ने आपस में मिलकर साजिश पूर्वक बिना प्रार्थीगण को दावा में पक्षकार बनाये न्यायालय श्रीमान को मुगालता में रखकर गलत रूप से सम्पूर्ण जीमन बाबत निर्णय व डिक्री पारित करवा ली जबकि अप्रार्थीगण 1 लगायत 10 का हिस्सा 1/2 तथा शेष 1/2 हिस्सा प्रार्थीगण का है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि का अप्रार्थीगण अपने नाम से नामान्तरकरण तस्दीक करवाकर अपने नाम से दर्ज करवा लेते है तो प्रार्थीगण को असहनीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किया जाना संभव नहीं है। सुविधा का संतुलन व अपार क्षति का बिन्दु प्रार्थीगण के हक में है। इसलिये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वाग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दर्ज नहीं करवाये तथा दावे के निर्णय तक रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर वादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में उजर एतराज कोई हो तो, निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर उजर एतराज पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 10 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित भूमि में आवेदक का कोई हक हिस्सा नहीं है उक्त भूमि अनावेदकगण 1 लगायत 10 की खातेदारी व कब्जा की भूमि है। यह तथ्य गलत है कि उक्त भूमि में वादीगण का 1/2 हिस्सा है। गीगाराम का उक्त भूमि से कोई संबंध नहीं रहा। आवेदकगण न अर्जन का सजरा भी गलत प्रस्तुत किया है। विवादित भूमि में 1/2 हिस्सा ताराचन्द का व 1/2 हिस्सा हरनन्द का रहा। यह कहना भी गलत है कि गीगला उर्फ गीगाराम ने तत्कालीन ठिकाने से उक्त भूमि लगान पर लेकर काश्त की व काबिज रहा जबकि सही तथ्य यह है कि उक्त भूमि हरनन्द व ताराचन्द ने ही लगान ठिकाना समय से ही ठिकाना में जमा करवाया तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के पश्चात सरकार में जमा कराया। इस तथ्य की ताईद भू–प्रबन्ध विभाग के पर्चा लगान दिनांक 30.06.1962 से भी होती है। राजस्व रिकार्ड में गीगाराम का नाम राजस्व कर्मचारियों की

से रहा है। पर्चा लगान हरनन्द व ताराचन्द पुत्र अर्जन के नाम रहा है। राजस्व रिकार्ड में गीगाराम का नाम हटाने का भी इन्द्राज है। दिनांक 21.06.2016 को गीगाराम का नाम दर्ज करवाने का इन्द्राज दुर्भावनावश दर्ज करवाया है तथा नामान्तरकरण संख्या 171 भी गलत रूप से तस्दीक किया गया है। जो अनावेदक संख्या 1 लगायत 10 के अधिकारों पर शून्य व प्रभावहीन है। विवादग्रस्त भूमि पर गीगाराम व उसके वारिसान का कभी कोई हिस्सा नहीं रहा। आवेदकगण राजस्व रिकार्ड के गलत इन्द्राजात का फायदा उठाने के लिये दावा किया है।

उक्त भूमि बाबत दिनांक 30.06.1962 को पर्चा लगान हरनन्द व ताराचन्द के नाम जारी हुआ। भूमि का लगान ठिकाना समय में व उसके पश्चात हरनन्द व ताराचन्द ने जमा करवाया। विक्रय पत्र दिनांक 24.06.1981 में ताराचन्द ने अपना 1/2 हिस्सा बीरबल पुत्र हरनन्द को विक्रय कर दिया। उक्त विक्रय पत्र व पर्चा लगान के मुताबिक गीगाराम का उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा कभी नहीं रहा है इस तथ्य की ताईद दिनांक 06.12.1962 को बही में लिखी गई लिखावट भी करती है तथा जमाबंदी सम्वत 2026 से 2029 में नाम दुरूस्ती का जो इन्द्राज किया गया वो तथ्य भी इस बात की ताईद करता है कि गीगाराम का उक्त भूमि में कभी भी कोई हक हिस्सा नहीं रहा है। आवेदकगण का न तो प्रथमदृष्टया मामला है न सुविधा का सन्तुलन व अपार क्षति का बिन्दु आवेदकगण के हक में है अतः आवेदनकगण का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारीज होने योग्य है। अतः आवेदकगण का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारीज फरमाया जावे।

जवाब देही पूर्ण होने पर बहस प्रार्थना पत्र श्रवण की गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 में दर्ज वंशावली सही है। ख0न0 129 रकबा 3.26 है0 हिस्सा 1/2–1/2 मद संख्या 2 दिनांक 21.06.2016 के अनुसार भी दोनों पक्षों का हिस्सा 1/2–1/2 दर्ज है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुझुनू के यहां हरनन्द के वारिसान द्वारा एक दूसरे को वादी–प्रतिवादी बनाकर कुटरचित तरीके से वाद डिक्री करवाया है। जो वादी के हक अधिकारों पर कुठाराधात है। जब वादी को इस तथाकथित डिक्री का पता चला तो उक्त वाद लाना आवश्यक हुआ। इस प्रकार मद संख्या 9 में वांछित अनुतोष ताफैसला रखा जावें। वकील वादी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत पेश किये जो निम्नानुसार है :–

1. आरएलडब्ल्यू 2000(2)राज. पेज–1102 :– माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान में दायर एस. बी.सिविल अपिल संख्या 429/1998 उनवान ग्राम पंचायत बाड़मेर बनाम मरूधर स्टोन इण्डस्ट्रज बाड़मेर व अन्य निर्णय दिनांक 10.03.2000
2. आरआरडी 1998 पेज–368 :– चेयरमेन राजस्व मण्डल अजमेर रिविजन संख्या 64/1996 ओर क्रोस आब्जेक्शन नम्बर 18/1997 उनवानी श्रीमती शांती देवी बनाम बाबुलाल व अन्य निर्णय दिनांक 20.12.1997
3. आरआरडी 1998 पेज–370 :– सदस्य राजस्व मण्डल अजमेर अपील संख्या 32/1995 उनवानी गुलाबी व अन्य बनाम रामजीलाल निर्णय दिनांक 10.03.1998
4. आरआरडी 2001 पेज– 53 :– चेयरमेन, राजस्व मण्डल अजमेर अपील संख्या 17/1995 उनवानी अंजनी कुमार बनाम उमा शंकर व अन्य निर्णय दिनांक 08.11.2000
5. आरआरडी2001 पेज–58 :– संदस्य राजस्व मण्डल अजमेर रिविजन संख्या 113 और 112/1999 उनवानी हिरालाल बनाम हरीप्रसाद निर्णय दिनांक 01.11.2000
6. आरआरडी2001 पेज–242 :– संदस्य राजस्व मण्डल अजमेर रिविजन संख्या 50 और 51/2001 उनवानी दुर्गाशंकर बनाम माथुरी व अन्य निर्णय दिनांक 12.03.2001
7. आरआरटी 2013(1) पेज–447 :– सदस्य राजस्व मण्डल अजमेर रैफरेन्स एलआर न0 4382/2010 उनवानी राजस्थान राज्य बनाम नत्थू निर्णय दिनांक 12.02.2013

आरआरटी 2013(1) पेज–489 :– सदस्य राजस्व मण्डल अजमेर स्पेशल अपील एलआर न0 9740/2012 उनवानी भवंरा व अन्य बनाम जेथाराम निर्णय दिनांक 07.02.2013

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने दौराने बहस जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अर्जन के तीन पुत्र हुये हरनन्द, गीगाराम व ताराचन्द। भू–प्रबन्ध सम्वत 2012 से 2031 के पर्चे के अनुसार हरनन्द व गीगाराम को अर्जन का पुत्र दिखकर प्रकरण पेश किया गया है। जबकि सच्चाई यह है कि अर्जन के तीन औलाद हुई हरनन्द, गीगाराम व ताराचन्द। जमाबंदी सम्वत 2026–29 के कैफियत में स्पष्ट लिखा हुआ है कि खतूनी न0 28 में गीगाकी बजाय ताराचन्द का नाम दर्ज है गीगा नाम गलत दर्ज हो रहा है जाति भी खाती है जाट गलत दर्ज है इसलिए गीगा की बजाय ताराचन्द माना जावे व जाति खाती मानी जावे। जब तक गीगा जीवित था तब तक कभी विवाद पैदा नही हुआ। गीगा ने अपने जीवनकाल सन् 1964 में ही विवादग्रस्त भूमि बाबत अपनी पारिवारिक बही में यह तथ्य लिखकर दे दिया था कि इस जमीन में उसका कोई उजर नहीं है यह जमीन ताराचन्द के हिस्से की है ताराचन्द इस जमीन को किसी भी उपयोग में लेवे गीगाराम को कोई उजर एतराज नहीं है। और इस प्रकार गीगाराम की लिखावट के अनुसार गीगाराम के फौत होने पर उसके विधिक वारिसों का कोई हक, हिस्सा ना तो था, ना है। इसलिए ना तो प्रथमदृष्टया सुविधा का संतुलन वादी के हक में है ना ही अपार क्षति का कोई मामला वादी के हक में बनता है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने मूल वाद के निस्तारण तक निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया गया है। साथ ही विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने वादी के हक में सुविधा का संतुलन नहीं होने से प्रतिवादी के हक अधिकारों का अनावश्यक रूप से हनन होने से प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया गया है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के अधिवक्तागणों द्वारा पेश की गई दलीलों एवं साक्ष्य सबूतो से प्रथदृष्टया सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। प्रार्थी ने अपने वाद में स्वयं कारित किया है कि प्रश्नगत भूमि के संबंध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर से निर्णय दिनांक 06.10.2015 पारित किये जाने की जानकारी हुई। तत्पश्चात भी प्रार्थीगण द्वारा पुनः इसी न्यायालय में वाद दायर किया गया है। जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण न्यायालय के उक्त निर्णय से प्रभावित नहीं है। अन्यथा न्यायालय के उक्त निर्णय के विरूद्व अपील की जानी चाहिये थी जो प्रार्थीगण द्वारा नहीं की गई। एक ही जमीन के विरूद्व न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरूद्व अपील न की जाकर उसी न्यायालय में पुनः वाद दायर कर अनुतोष चाहना विधिक प्रावधानों के अनुकूल प्रतीत नहीं होता। उक्त तथ्यों के मध्यनजर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर के निर्णय दिनांक 06.10.2015 की पालना होती है, तो प्रार्थी के हक हकूको पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं बनता है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार कर अप्रार्थीगणों के हक हकुको एवं अधिकारों का हनन करना न्यायिक दृष्टिकोण से उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा न्यायिक दृष्टिकोण से पोषणीय नहीं होने से खरीज किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल शुदा होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं मूल वाद के साथ नत्थी रहे।

निर्णय आज दिनांक 05.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

05/4/22

(साधुराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर